न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारीः– श्वेता चौहान (आई0ए0एस0)

कैम्प– पंचायत समिति जवाजा

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 64/2019

श्री शकरूद्दीन पुत्र श्री मंगला खान आयु 68 साल जाति मेहरात निवासी गांव रूपनगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

------प्रार्थी

ब ना म

1– श्रीमती भंवरी देवी आयु 42 साल पत्नि श्री भगवानसिंह जाति रावत निवासी ग्राम फतेहगढ सल्ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

2– राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय, ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

-------अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

आदेश

दिनांक 14.08.2020

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि ग्राम फतेहगढ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर व भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर में खसरा संख्या 15 रकबा 00–09–10 किस्म बा.2 स्थित चली आ रही है जो कि प्रार्थी द्वारा श्री छोटू पुत्र हजारी जाति रावत से खरीद की गई है जिसका नामान्तकरण भी प्रार्थी के नाम अंकित किया जा चुकी है। उक्त भूमि के मूल खातेदार श्री छोटू पिछले काफी वर्षो से सड़क खसरा संख्या 414 से अपने खेत पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 12 व 14 की उत्तरी दिशा में 3 फिट चौडा रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 15 खरीद किये जाने के बाद अप्रार्थिया संख्या 1 खसरा संख्या 14 की सीमा में प्रार्थी को अपने खेत खसरा संख्या 15 में आने जाने नहीं देती है व उक्त रास्ते में बबूल के कांटे आदि डालकर रास्ते को बन्द करने पर आमादा है। खसरा संख्या 14, 12, 13 का पिछले काफी वर्षो से ही बाहमी बंटवारा हो रखा है जिसमें से खसरा संख्या 14 अप्रार्थिया के हिस्से में आया हुआ है व खसरा संख्या 12 व 13 को उनके मूल खातेदारानों से पूर्व में ही खरीद कर लिया था व भौतिक कब्जा अनुसार उनसे खसरा संख्या 12 व 13 का भौतिक कब्जा भी प्राप्त कर लिया व इसी प्रकार खसरा संख्या 12 व 13 एव 14 के मध्य कई वर्षो पुरानी मेड बनी हुई है एवं उक्त खसरा संख्या 14 की उत्तरी दिशा में अप्रार्थिया संख्या 1 ने अपना रहवासी मकान आदि बनाकर पिछले कई वर्षो से निवास करती चली आ रही है। अप्रार्थिया संख्या 1 ने प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि खसरा संख्या 15 में आने जाने के रास्ते को दिनांक 10.11.2019 को खसरा संख्या 14 की सीमा में ही कांटे आदि डालकर बन्द करने हेतु आमादा हुई एवं आये दिन झगडा फिसाद करती रहती है व धमभियां देती है कि रास्ते को पूर्णतः बन्द कर दूंगी। इस कारण इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 15 में आने जाने हेतु 30 फिट चौडा रास्ता जो कि खसरा संख्या 12 व 14 की उत्तरी दिशा में उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अंकन दरामद करवाया जावे व रास्ते को नक्शे में तरमीम भी करवाया जावे एवं प्रार्थी आदेशानुसार उक्त रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से अप्रार्थिया संख्या 1 के हक तक की भूमि का शुल्क/राशि अदा करने को तैयार एवं तत्पर है।

...............लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार ब्यावर द्वारा कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कथन किये हैं कि प्रार्थी शकरूददीन ने ग्राम फतेहगढ़ सल्ला के खसरा नं. 15 रकबा 00–09–10 किस्म बारानी हेतु रास्ता चाहा है। प्रार्थी उक्त खसरा में जाने हेतु खसरा संख्या 12 व 14 से रास्ता चाहता है जबकि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी फतेहगढ़ सल्ला के खाता संख्या 219 में खसरा संख्या 12 रकबा 00–15–00, ख.सं. 13 रकबा 01–05–00, ख.सं. 14 रकबा 02–02–00 भंवरीदेवी पत्नि भगवानसिंह कौम रावत सा. देह खातेदार हि. 1/2 शकरूददीन वल्द मंगला जी जाति मेरात निवासी ग्राम रूपनगर हि. 1/2 सा. देह खातेदार दर्ज है। मौके पर उक्त खातेदारों के मध्य बंटवारा हो रखा है जिसमें खसरा संख्या 12 व 13 शकरूददीन पिता मंगला कौम मेरा व खसरा नम्बर 14 भंवरीदेवी पत्नि भगवानसिंह का मौके पर कब्जा है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी व परिवादी सहखातेदार है। इस कारण उक्त भूमि का बंटवारा होने से पहले 251 ए के तहत रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी उक्त भूमि के विभाजन बाबत् सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर भूमि का बंटवारा व रास्ते का अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

प्रकरण कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में सुनवाई हेतु रखा गया। प्रार्थी शकरूदीन व अप्रार्थिया संख्या 1 भंवरी देवी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी ने स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 15 में आने जाने हेतु रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया तथा अन्य कोई मार्ग नहीं होना बतलाते हुए अप्रार्थिया की खातेदारी भूमियों में से रास्ता दिलवाये जाने के कथन किए। अप्रार्थिया ने कथन किए कि मेरे द्वारा प्रार्थी को कभी भी आने जाने से नहीं रोका है। पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर मय पटवारी हल्का ने बहस में मौखिक कथन किए कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के खसरा संख्या 12 से 14 में प्रार्थी एवं अप्रार्थिया सहखातेदार है जिन्हें विधिक रूप से बंटवारा करवाये बिना रास्ता दिया जाना उचित नहीं होगा।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तोवजात प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर की जमाबन्दी संवत् 2073–76 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 84 में वर्णित खसरा संख्या 15 रकबा 00–09–10 शकरूददीन पुत्र मंगला के नाम जरिए बेचान दर्ज होना पाया गया है। ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 219 में अंकित खसरा संख्या 12 रकबा 00–15–00, ख.सं. 13 रकबा 01–05–00, ख.सं. 14 रकबा 02–02–00 भंवरीदेवी पत्नि भगवानसिंह कौम रावत सा. देह खातेदार 1/2 हि. शकरूददीन वल्द मंगलाजी जाति मेरात निवासी ग्राम रूपनगर 1/2 हि. सा. खातेदार दर्ज होना पाया गया। खसरा संख्या 15 के विक्रय पत्र दिनांक 21.08.2019 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

उक्त समस्त दस्तावेजात् एवं तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट एवं बहस में किए गए कथनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम फतेहगढ़ सल्ला के खसरा संख्या 14 में से रास्ता चाहा गया है जबकि उक्त खसरा संख्या 14 प्रार्थी एवं अप्रार्थिया संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 12 व 13 भी प्रार्थी एवं अप्रार्थिया संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है एवं मौके पर विवाद की स्थिति है। ऐसी स्थिति में विधिक रूप से बंटवारा करवाये बिना सहखातेदारी की भूमियों में किसी एक सहखातेदार को रास्ता दिया जाना विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित है। प्रार्थी उक्त भूमियों बाबत् सक्षम न्यायालय में बंटवारे व रास्ते का प्रकरण प्रस्तुत कर बंटवारे व रास्ते का अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

..........लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का ग्राम फतेहगढ़ सल्ला की वादग्रस्त आराजियात बाबत् यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 14–08–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर